तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद पत्र संख्या 107/2022 GCMS NO. 2022/524
उनवानी तपेन्द्र सिंह आदि बनाम जगदीश सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955

25.07.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादीगण को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादीगण हाजिर आये। अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। पत्रावली की गत आदेषिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण को प्रतिवादीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादीगण ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादीगण को प्रतिवादीगण की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेष दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेषिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादीगण का वाद तामील के अभाव में आदेशै 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सविता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी